बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 4348539 पटना, दिनांक 16/07/2025

ग्रा0वि0-5/मु0आ0यो0(लक्ष्य-2025-26)-110-01/2025

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इसके बाद के वर्षों में लाभुकों को सहायता राशि भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री आवास योजना की कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक-27/सी0 दिनांक-24.09.2020 से विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिलों को दिये गये हैं । योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी जिलों के लिए रू0 1,20,000 (एक लाख बीस हजार रूपये) प्रति इकाई निर्धारित सहायता राशि को किश्तवार निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

किश्त	**राज्य के सामान्य जिलों के लिए (1,20,000)**
प्रथम किश्त (आवास की स्वीकृति के उपरांत आवास का प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के लिए)	रू0 40,000 (चालीस हजार रूपये)
द्वितीय किश्त (आवास का प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के बाद छत स्तर तक निर्माण कार्य के लिए)	रू0 40,000 (चालीस हजार रूपये)
तृतीय किश्त (आवास का छत स्तर से आवास निर्माण कार्य का फिनिशिंग (प्लास्टर, पेंट, दरवाजा, खिड़की लगाने तथा फ्लोर फिनिशिंग) कार्य को पूर्ण करने के लिए)	रू0 40,000 (चालीस हजार रूपये)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किश्तों की उपर्युक्त निर्धारित व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इसके बाद के वर्षों में भी लागू रहेगी ।

2. योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों में से जिन लाभुकों का पूर्व से सामान्य बचत खाता उपलब्ध है तो नया बचत खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है । पूर्व से सामान्य बचत खाता उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ही नया खाता खोलकर उनके बैंक विवरणी(पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति) के आधार पर उनके बैंक खाता को आवास सॉफ्ट पर निबंधित किया जायेगा । किसी भी स्थिति में लाभुक का पासबुक नहीं लिया जायेगा ।

3. प्रथम किस्त की राशि लाभुकों को आवास की स्वीकृति के उपरांत अग्रिम रूप में दी जायेगी, द्वितीय किस्त की राशि प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के बाद तथा तृतीय किस्त की राशि छत स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत दी जायेगी ।

PMAY-G-4054

4. आवास निर्माण का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के लिए लाभान्वितों को स्वीकृति के समय प्रखण्ड कार्यालय से एग्रीमेन्ट करना होगा कि राशि की स्वीकृति के 12 (बारह) माह के अंदर आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर लिखित रूप से फोटोयुक्त साक्ष्य नहीं देने पर उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी ।

5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि आवास निर्माण कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए कार्य प्रारंभ के पूर्व, प्लिंथ तक निर्माण कार्य के बाद, छत स्तर तक निर्माण कार्य एवं आवास का छत निर्माण कार्य का फिनिशिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत फोटो आवास सॉफ्ट पर अपलोड करायेंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन

15/7/2025

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4348539 पटना, दिनांक 16/07/2025

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/7/2025

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4348539 पटना, दिनांक 16/07/2025

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / MIS टीम, PMAY-G को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

15/7/2025